



संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2115 /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 27/05/17

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
SAMRAT ASHOK TECHNOLOGICAL INSTITUTE
CIVIL LINES, NETAJI SUBHASH MARG VIDISHA

विषय:- अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का पत्र क्र. 3333658521 दिनांक: 02 May 2017

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0बी0ए0 फुल टाइम (FT) छात्र संख्या- 60-5444
2. एम0बी0ए0 पार्ट टाइम (PT) छात्र संख्या- 7

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

Director

उप-कुलसचिव अकादमी

पृ0कमांक 2116 /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 27/05/17

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल।
2. सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली।
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट-प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



सहा.-कुलसचिव, अकादमी